23 फरवरी, 2016 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 69वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 69.7 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 1 फरवरी, 2016 के बाद तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड

क्षेत्र : रत्न एवं आभूषण

लोकेशन : ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान

विस्तार : विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 1 फरवरी, 2016 तक था।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 2 फरवरी, 2011 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 31 अगस्त 2015 तक भूमि पर किया गया निवेश 4.76 करोड़ रुपए है तथा अन्य निवेश 2.36 करोड़ रुपए है

(ii) पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि के बाद वृद्धिमूलक निवेश - 4.43 करोड़ रुपए

(iii) अब तक भौतिक प्रगति : विकासक ने बताया है कि 31 अगस्त 2015 तक उन्होंने 4.76 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद शेष कार्य शुरू करेंगे। रिको द्वारा 11.08 हेक्टेयर में रत्न एवं आभूषण के लिए मास्टर प्लान अनुमोदित किया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) हिंजेवाड़ी, और मान, तालुका - मूली, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक का नाम : कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्षेत्र : आईटी / आईटीईएस

लोकेशन : गाँव हिंजेवाड़ी और मान, तालुक मूली, पुणे, महाराष्ट्र

विस्तार : विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता 27 अगस्त, 2014 को समाप्त हो गई।

बुनियादी तथ्य : विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 अगस्त 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

1. विकास / निर्माण के लिए निवेश
   (क) भवन डी का निर्माण - 11.78 करोड़ रुपए
   (ख) अवसंरचना का निर्माण (चारदीवारी सहित) - 19.91 करोड़ रुपए
   (ग) इंक्यूबेशन सेंटर 2 - 8.94 करोड़ रुपए
   (घ) इंक्यूबेशन सेंटर / कार्यालय - 7.47 करोड़ रुपए
2. परामर्श शुल्क, ऊपरी खर्च तथा विविध व्यय - 12.52 करोड़ रुपए
3. एसईजेड को प्रमोट करने के लिए बाजार शुल्क - 0.83 करोड़ रुपए

   कुल - 58.451 करोड़ रुपए
4. पिछली बार बढ़ाई गई अवधि के बाद निवेश - 4.84 करोड़ रुपए

एसईजेड के विकास के लिए उठाए गए कदम :

(क) एसईजेड के लिए सरल पहुंच के लिए हिंजेवाड़ी और महालुंगे गांव के बीच स्टील ब्रिज के निर्माण का काम पूरा हो गया है।
(ख) 1548.51 वर्गमीटर के इंक्यूबेशन स्पेस का निर्माण पूरा हो गया है।

विलंब का कारण : (क) आर्थिक मंदी तथा बाजार की प्रतिकूल स्थितियों के कारण आईटी / आईटीईएस तथा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के एसईजेड में स्थान के लिए मांग धीरे धीरे घट रही है। (ख) कर व्यवस्था में परिवर्तन के कारण विकासक के लिए स्थान पट्टा पर देना कठिन था तथा क्षेत्र का विकास अलाभप्रद हो गया और (ग) डीटीसी के तहत कर के प्रावधानों में संशोधन जैसे कि मैट लगाए जाने और लाभों को वापस ले लेने से एसईजेड के विकास पर सोपानिक प्रभाव पड़ रहा है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 28 अगस्त 2014 से 27 अगस्त 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 69.8 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 28 जून, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में जायडस फर्मा एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया** : विभिन्न ट्रांसडर्मल पैच (मेडिकल पैच) के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 29 जून 2009 को।
- **विस्तार** : 28 जून, 2016 तक 6 (छः)
- **अनुरोध :** वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) कारखाना परिसर के निर्माण, लगाए गए प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य तथा उत्पाद विकास एवं भूमि पर 546.74 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
(ii) यूनिट द्वारा किया गया वृद्धिमूलक निवेश : 96.84 करोड़ रुपए
(iii) कारखाना परिसर का निर्माण पूरा हो गया है
(iv) अपेक्षित प्लांट एवं मशीनरी लग चुकी है
(v) ट्रायल प्रोडक्शन शुरू हो गया है तथा 2 उत्पादों पर विकास किया गया है जिन्हें यूएसएफडीए के अनुमोदन के लिए दाखिल किया गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(ii) 13 मार्च, 2016 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अणुशक्ति स्पेसियल्टीज एलएलपी जो भड़ूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

- **एलओपी जारी किया गया** : 2-मिथाइल - 6 एथिल एनिलाइन तथा अन्य एथिलेशन उत्पाद, क्लोरो एनिलाइन, डिक्लोरो एनिलाइन एवं अन्य हाइड्रोजेनेशन उत्पादों, मोनो क्लोरोबेंजीन तथा अन्य क्लोरिनेशन उत्पादों एवं उपोत्पाद एआई (ओएच) ए1203 के विनिर्माण एवं निर्यात, विभिन्न ट्रांसडर्मल पैच (मेडिकल पैच) के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 14 मार्च 2012 को।

- **विस्तार** : 13 मार्च, 2016 तक 3 (तीन)

- **अनुरोध** : वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए।

यूनिट ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) विभिन्न शीर्षों जैसे कि भवन, भूमि तथा प्लांट एवं मशीनरी पर अब तक 51.36 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ii) 2015 में प्रदान किए गए पिछले विस्तार की तिथि से 41.86 करोड़ रुपए का वृद्धिमूलक निवेश किया गया है।

(iii) अब तक भौतिक प्रगति : यूनिट ने सिविल निर्माण का 75 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है, बॉयलर खड़ा करने का काम 90 प्रतिशत पूरा कर लिया है, प्लांट एवं मशीनरी का प्रापण 95 प्रतिशत पूरा हो गया है तथा इंस्टालेशन का कार्य चल रहा है, ईटीपी का काम 40 प्रतिशत पूरा हो गया है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

मद संख्या 69.9 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एआईसीटीपीएल) का अनुरोध

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए 8 अप्रैल 2013 को उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया जा चुका है :

(क) 43740 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में कंटेनर जेट्टी तथा संबद्ध सुविधाएं
(ख) 422750 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में कंटेनर यार्ड तथा संबद्ध सुविधाएं

उन्हें उम्मीद है कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल तथा वैश्विक व्यापार में सुधार के कारण देश के कंटेनर ट्रैफिक में काफी वृद्धि होगी। उन्होंने सूचित किया कि मुंद्रा में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्लस्टर सहित सतत क्लस्टर आधारित परियोजनाओं, मेगा फूड पार्क तथा अन्य आगामी मेगा परियोजनाओं से एपीएसईजेड में आयात एवं निर्यात की काफी गतिविधियों का सृजन होने की संभावना है। इसके अलावा सह विकासक ने यह भी सूचित किया है कि यह अवसंरचना देश के अवसंरचना क्षेत्र में लगभग 54.5 मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट करेगी।

अब मैसर्स एआईसीटीपीएल ने 35100 वर्गमीटर तथा 238100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में क्रमश: अतिरिक्त कंटेनर जेट्टी एवं यार्ड के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अतिरिक्त अधिकृत प्रचालन के लिए अनुरोध किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 12 अक्टूबर, 2011 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप उप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। उप पट्टा की अवधि 16 फरवरी 2031 तक है। 123 रुपए प्रति वर्गमीटर का वार्षिक उप पट्टा किराया वार्षिक आधार पर देय है। किसी कटौती के बगैर अग्रिम में वार्षिक उप पट्टा किराया का भुगतान किया जाएगा तथा इसमें 10 प्रतिशत की दर से हर तीसरे साल वृद्धि की जाएगी।

30 दिसंबर, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी एलपीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अडानी एलपीजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने 26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एलपीजी भंडारण एवं रिक्तीकरण टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 28 नवंबर, 2015 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। उप पट्टा की अवधि 16 फरवरी 2031 तक है। वार्षिक पट्टा किराया 200 रुपए प्रति वर्गमीटर है जो वार्षिक आधार पर देय है। किसी कटौती के बगैर अग्रिम में वार्षिक उप पट्टा किराया का भुगतान किया जाएगा तथा इसमें 20 प्रतिशत की दर से हर तीसरे साल वृद्धि की जाएगी। उप पट्टाधारक भूमि के चारों ओर प्रदान की गई सभी अवसंरचना सुविधाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए 18 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से एसईजेड के अनुरक्षण प्रभार के रूप में एसईजेड को अनुरक्षण प्रभार का भुगतान करेगा।

सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**यूनिटों की संख्या**	**यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)**
1.	जेट्टी से टर्मिनल एरिया तथा टैंकर लोडिंग एरिया तक पाइप लाइन (जेट्टी से टर्मिनल एरिया तक 1.1 किलोमीटर का पाइप रूट कोरिडोर जिसकी चौड़ाई लगभग 3-4 मीटर होगी। (टर्मिनल से टैंकर लोडिंग एरिया तक 3.5 किलोमीटर का पाइप रूट कोरिडोर जिसकी चौड़ाई लगभग 3-4 मीटर होगी)	4	लागू नहीं	20.0 किलोमीटर

30 दिसंबर, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है तथा विकास आयुक्त, एपीएसईजेड को व्यावसाय प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विकासक के साथ मामले पर चर्चा करने का निदेश दिया।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी सीएमए मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अडानी सीएमए मुंद्रा टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने 27.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर टर्मिनल (सीटी-4) तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 दिसंबर, 2014 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप उप पट्टा भी उपलब्ध कराया गया है। 125 रुपए प्रति वर्गमीटर का उप पट्टा किराया प्रभावी तिथि से वार्षिक आधार पर देय है जिसमें हर तीसरे साल 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। उप पट्टा की अवधि 16 फरवरी 2031 तक है।

सह विकासक ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए पुन: अनुरोध किया है :

क्र. सं.	**अधिकृत प्रचालन**	**यथा लागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)**	**कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) / क्षमता (मेगावाट में)**
1.	कंटेनर जेट्टी, यार्ड तथा संबद्ध सुविधाओं का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण	लागू नहीं	जेट्टी : 35100 वर्गमीटर यार्ड : 272700 वर्गमीटर

20 फरवरी, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 64वीं बैठक में प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि सह विकासक का प्रस्ताव एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में कंटेनर टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं एवं सेवाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

30 दिसंबर, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया था। विचार विमर्श के बाद इस निदेश के साथ प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया कि विकास आयुक्त,

एपीएसईजेड विकासक के साथ इस बात की जांच करेंगे कि क्या वे प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिट के रूप में प्रचालन करना चाहते हैं। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि वाणिज्य विभाग एवं राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों को शामिल करके गठित की गई टीम मद संख्या 68.3 (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित प्रस्तावों की जांच करेगी तथा प्राथमिकता के आधार पर स्पष्ट दिशानिर्देश तैयार करेगी ताकि अनुमोदन बोर्ड द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर अविलंब विचार किया जा सके।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) मौजूदा गतिविधि का दायरा बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड्ट लिमिटेड जो मैसर्स वोकहार्ड्ट इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शेंद्रे, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

107.06 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स वोकहार्ड्ट लिमिटेड को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय स्कूल के निर्माण, प्रबंधन एवं प्रचालन के लिए 28 सितंबर 2015 को उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। अब विकासक सह विकासक के मौजूदा अनुमोदन के दायरे को विस्तृत करना और अपने एसईजेड में केन्द्रीय यूटिलिटीज के लिए भी सह विकासक के रूप में मैसर्स वोकहार्ड्ट लिमिटेड को नियुक्त करना चाहता है। सह विकासक के रूप में मैसर्स वोकहार्ड्ट लिमिटेड सभी मौजूदा एवं भावी यूटिलिटी स्थापित करेगा, प्रचालित करेगा, अनुरक्षण एवं प्रबंधन करेगा, जो विकासक के प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित की गई हैं।

विकासक के साथ किया गया परस्पर विकास करार दिनांक 03 दिसंबर, 2015 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 30 साल है। इस विलेख के निष्पादन की तिथि से 30 साल बीत जाने पर तथा 30 साल के परवर्ती अंतराल पर भी 1.86.89,160 रुपए प्रति वर्ष के वार्षिक ग्राउंड रेंट में वृद्धि की जा सकती है बशर्ते कि प्रत्येक अवसर पर वृद्धि पिछले 20 वर्षों के लिए निर्धारित किराए से एक चौथाई अधिक न हो।

विकासक ने यह भी बताया है कि वास्तविक लागत के भुगतान पर सह विकासक को मौजूदा यूटिलिटीज का हस्तांतरण किया जाएगा तथा 30 साल के लिए उप पट्टा करार के माध्यम से लगभग 20670 वर्गमीटर की भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा। जब भावी यूटिलिटीज की योजना बनाई जाएगी तब सह विकासक को उप पट्टा करार के माध्यम से भावी यूटिलिटीज के लिए भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा। मौजूदा यूनिटें तथा भावी यूनिटें उक्त यूटिलिटीज के उपयोग के लिए प्रभारों का भुगतान करेंगी।

विकासक ने निम्नलिखित गतिविधियों के लिए सह विकासक बनने के लिए मैसर्स वोकहार्ड्ट लिमिटेड को सहमति प्रदान की है :

1. केन्द्रीय यूटिलिटी
   (i) यूटिलिटी ब्लाक तथा वितरण नेटवर्क
   (ii) भाप उत्पादन प्लांट एवं चिमनी
   (iii) क्लीन सिस्टम जनरेशन एंड सप्लाई सिस्टम चिल्ड वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम
   (iv) कूलिंग वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम
   (v) वाटर फॉर इंजेक्शन (डब्ल्यूएफआई) जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम

(vi) डिसेंट्रलाइज्ड वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम
(vii)प्यूरीफाइड वाटर जनरेशन एंड पंपिंग सिस्टम
(viii) कंप्रेस्ड एयर सिस्टम

2. हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयरकंडिशनिंग सिस्टम

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 69.10 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, नगवारा, बंगलौर, कर्नाटक में 4.05 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सल्टायर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स सल्टायर डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	आउटर रिंग रोड, राचनहल्ली गांव, नगवारा, बंगलौर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	4.05	हां	नहीं*	नया

*विकासक ने ईमेल दिनांक 15 फरवरी 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि आईटी, बीटी तथा एसएंडटी विभाग में गठित कर्नाटक सरकार के माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएचएलसीसी) द्वारा 1 फरवरी 2016 को आयोजित बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया और मंजूरी प्रदान की गई है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) पूजनहल्ली गांव, देवनहल्ली तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में 2.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स अमीन प्रापर्टीज एलएलपी का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(ii)	मैसर्स अमीन प्रापर्टीज एलएलपी	पूजनहल्ली गांव, देवनहल्ली तालुक, बंगलौर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	2.76	हां	नहीं*	नया

*विकासक ने ईमेल दिनांक 15 फरवरी 2016 के माध्यम से सूचित किया है कि आईटी, बीटी तथा एसएंडटी विभाग में गठित कर्नाटक सरकार के माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च स्तरीय स्वीकृति समिति

(एसएचएलसीसी) द्वारा 1 फरवरी 2016 को आयोजित बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार किया गया और मंजूरी प्रदान की गई है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) प्लाट नंबर आई-3, आईटी सिटी, सेक्टर 83, अल्फा, एसएएस नगर, मोहाली में 20.234 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इनफोसिस लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश	आवेदन की स्थिति
(ii)	मैसर्स इंफोसिस लिमिटेड	प्लॉट नंबर I-3, आईटी सिटी, सेक्टर - 83, अल्फा, एसएएस नगर, मोहाली	आईटी / आईटीईएस	20.234	हां	हां (11 जुलाई 2014)	नया

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 69.11 : विविध मामले

(i) मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड (जो पूर्व में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड था) कांचीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रानिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (एलकॉट) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

152.66.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड (जो पूर्व में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड था) एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के विकास के लिए सह विकासक है।

पहले मैसर्स कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालन के लिए अनुरोध किया था :

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	गेस्ट हाउस / डार्मेटरीज का निर्माण	ग्राउंड + 3 फ्लोर में 160 कमरे	लागू नहीं	9289.36

14 सितंबर 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 54वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां अनुमत नहीं हैं।

सह विकासक ने बताया है कि उन्होंने आवंटित क्षेत्र में साफ्टवेयर विकास ब्लाक तथा फूड कोर्ट का निर्माण किया है। चूंकि उनकी परियोजनाओं का संचालन 24/7 आधार पर होगा इसलिए उन्हें कैंपस के अंदर कर्मचारियों के लिए प्रवास की सुविधा की आवश्यकता है, जिसका प्रयोग ऐसे कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष के रूप में किया जाएगा जो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए देर रात तक काम करेंगे / महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काम करेंगे तथा इसका प्रयोग आधिकारिक प्रयोजन के लिए अन्य स्थानों से आने वाले उनके कर्मचारियों को ठहराने के लिए भी किया जाएगा। सह विकासक ने यह भी बताया है कि 19 मई 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 65वीं बैठक में प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए प्रवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा समान प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है इसलिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है।

उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) 40 एमएलडी के सीईटीपी से दाहेज तक शोधित निस्सारी की ढुलाई के लिए पाइप लाइन बिछाने के लिए दाहेज एसईजेड में एसईजेड क्षेत्र से होते हुए 5 मीटर चौड़े कोरिडोर के आवंटन के लिए मैसर्स गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

मैसर्स गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) जो गुजरात सरकार का उपक्रम है, ने दाहेज में 40 एमएलडी के सीईटीपी से शोधित निस्सारी की ढुलाई के लिए ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाने के लिए दाहेज एसईजेड से गुजरने वाले 5 मीटर चौड़े कोरिडोर के आवंटन के लिए अनुरोध किया है जो निर्माणाधीन है तथा फरवरी 2017 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने बताया है कि 15 दिसंबर 2015 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था। बैठक के दौरान जीआईडीसी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि दाहेज 1 और दाहेज 2 औद्योगिक संपदा के लिए साझा निस्सारी शोधन संयंत्र (सीईटीपी) निर्माणाधीन है। सीईटीपी के पंपिंग स्टेशन से अंबहेटा में अंतिम पंपिंग स्टेशन तक शोधित निस्सारी की ढुलाई के लिए दो पाइप लाइनें बिछाने का प्रस्ताव किया गया है जो दाहेज एसईजेड से गुजरेंगी। उनका अनुरोध एसईजेड क्षेत्र से गुजरने वाली प्रस्तावित पाइप लाइनें बिछाने के लिए 5 मीटर चौड़े कोरिडोर के लिए आरओयू की अनुमति प्रदान करने के लिए है। एसईजेड क्षेत्र से न गुजरने वाली पाइप लाइनें बिछाने के लिए किसी अन्य मार्ग की तलाश करने के बारे में पूछे जाने पर, जीआईडीसी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उन्होंने विभिन्न वैकल्पिक मार्गों का अध्ययन किया है परंतु प्रत्येक में भूमि विभाग, गैस पाइप लाइन कोरिडोर, चौड़ाई का अभाव आदि से संबंधित कुछ बाधाएं थीं। बैठक में उपस्थित दाहेज एसईजेड लिमिटेड (डीएसएल) के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनको प्रस्तुत जीआईडीसी के प्रस्ताव की उनकी ओर से जांच की गई है तथा पाइप लाइन के प्रस्तावित मार्ग के सत्यापन के बाद उन्होंने जीआईडीसी द्वारा कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए कुछ शर्तों के अधीन एसईजेड के अंदर आरओयू के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है।

समिति में विस्तार से चर्चा के बाद अनुमोदन बोर्ड की आगामी बैठक में विचार के लिए जीआईडीसी के अनुरोध की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया क्योंकि जीआईडीसी द्वारा कोई एसईजेड लाभ प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा वे डीएसएल द्वारा लगाई गई शर्तों अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा लगाई गई किसी अन्य शर्त का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमत हैं।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) सिन्नार एमआईडीसी क्षेत्र, ग्राम मुसलगांव एवं गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 25 जून 2007 को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड 1011.264 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित हो गया है जिसमें से 512.068 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है तथा 499.196 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है।

विकासक दो चरणों तथा 347.399 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए चरण 1 तथा 164.669 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए चरण 2 में 512.068 हेक्टेयर के कुल प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास कर रहा है। इस प्रसंस्करण क्षेत्र को एक सड़क के माध्यम से अलग किया गया है।

विकासक ने 60 मीटर X 12 मीटर के एक अंडरपास / ओवरपास का निर्माण करने का वचन दिया था जो गांव की सड़क के नीचे से गुजरेगा और आंतरिक रूप से एसईजेड के क्षेत्र को जोड़ेगा। इस मुद्दे पर 1 अगस्त 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 27वीं बैठक में विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन एसईजेड की सन्निकटता की शर्तों में छूट प्रदान करने के लिए मंजूरी प्रदान की :

(i) विकासक सड़क पर ओवरब्रिज / अंडरपास / समर्पित सुरक्षा गेट के माध्यम से सन्निकटता स्थापित करेगा तथा सड़क के दोनों ओर फेंसिंग भी करेगा।
(ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
(iii) किसी यूनिट के लिए एलओए तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि सन्निकटता स्थापित करने और प्रसंस्करण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी उपाय पूरे नहीं हो जाते हैं।

विकासक ने बताया है कि पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के बाद विकासक ने एसईजेड में निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास शुरू किया है। इस समय विकासक प्रसंस्करण क्षेत्र के चरण 1 का विकास करने की प्रक्रिया में है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति के बाद निम्नलिखित कार्य शुरू किए हैं।

(क) आवश्यक ड्राइंग तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ मास्टर प्लान का लेआउट 57.44 लाख रुपए के प्रतिभूति शुल्क के साथ मुख्य योजनाकार एमआईडीसी को प्रस्तुत किया गया है।
(ख) सड़क, विद्युत लाइन, ड्रेनेज लाइन, जलापूर्ति आदि के संबंध में संभाव्यता रिपोर्ट एमआईडीसी को प्रस्तुत की गई है।
(ग) 28 किलोमीटर की चारदीवारी में से लगभग 27 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है तथा प्रसंस्करण क्षेत्र (चरण 2) में सिर्फ 1200 मीटर का निर्माण लंबित है।

चरण 2 के क्षेत्र का विकास बाद में किया जाएगा। प्रसंस्करण क्षेत्र के चरण 2 में किसी तत्काल व्यवसाय लाभ के बगैर अंडरपास / ओवर ब्रिज के निर्माण से काफी लागत वहन करनी पड़ेगी। इसके अलावा जिन 6 क्लाइंट को आवंटन के लिए मंशा पत्र प्रस्तुत किया गया था उनमें से 2 यूनिटों ने अनुमति पत्र के लिए आवेदन किया है। तथापि, 8 जनवरी 2016 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया है क्योंकि विकासक ने अंडरपास का निर्माण करके एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने की शर्त का पालन नहीं किया है। विकासक ने अंडरपास / ओवर ब्रिज के माध्यम से प्रसंस्करण क्षेत्र के चरण 1 और चरण 2 को जोड़ने की शर्त को आस्थगित करने का अनुरोध किया है क्योंकि इस शर्त के अनुपालन से हाल ही में उत्पन्न निवेशक की रुचि ठंडी पड़ जाएगी तथा एसईजेड को क्रियाशील बनाने में विलंब हो जाएगा।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने बताया है कि हाल ही में उन्होंने मैसर्स कोसो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त किया है जिसमें उन्होंने एसईजेड में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने की मांग की है। तथापि, अनुमोदन समिति ने उपर्युक्त शर्त संख्या 3 को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड जो एमआईडीसी - टीटीसी, एयरोली नालेज पार्क, नवी मुंबई, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

12.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

6 जनवरी 2012 को पहला एलओए प्राप्त करने के समय दो संस्थाएं अर्थात मैसर्स के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (50.10 प्रतिशत) और मैसर्स जे पी मोर्गन (49.90 प्रतिशत) मैसर्स गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की धारक थीं। इसके अलावा विकासक ने बताया है कि शेयर होल्डिंग का यही पैटर्न दूसरी अधिसूचना (क्षेत्रफल में वृद्धि) दिनांक 18 फरवरी 2015 तथा अब तक जारी रहा। विकासक ने यह भी बताया है कि व्यवसाय की मांगों के कारण जेपी मोर्गन (जेपीएम) कंपनी के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग का विनिवेश करना चाहता है। अपने ग्रुप की संस्था अर्थात के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (केआरसीपीएल) के माध्यम से अपने बड़े शेयर होल्डिंग स्टेटस की वजह से के रहेजा कॉर्पोरेशन ग्रुप ने गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल) के अंदर अपनी शेयर होल्डिंग को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है।

इसलिए मैसर्स जेपी मोर्गन द्वारा धारित 49.90 प्रतिशत शेयरों का आंशिक रूप से के रहेजा कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स माइंड स्पेस बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो के रहेजा कॉर्पोरेशन ग्रुप की दूसरी कंपनी है, में विनिवेश किया जाएगा।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

नोएडा एसईजेड के तहत मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को निम्नलिखित गतिविधियों के लिए एलओए दिनांक 5 नवंबर 1997 जारी किया गया था :

1) प्लास्टिक एगलोमरेट / ग्रेन्यूल्स तथा प्लास्टिक कंपोनेंट एवं वस्तुएं
2) सिल्क यार्न का उत्पादन
3) ट्रेडिंग की गतिविधियां

यूनिट ने 15 अप्रैल्से निर्यात की अपनी गतिविधि शुरू की। यूनिट का एलओए मूलत: 31 मार्च, 2011 तक वैध था। इसके बाद अनुमोदन बोर्ड द्वारा समय समय पर 30 नवंबर 2013 तक वार्षिक / छमाही / तिमाही आधार पर एलोए की वैधता अवधि बढ़ाई गई।

3 अक्टूबर 2013 को वाणिज्य विभाग ने 17 अक्टूबर 2013 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत करने के लिए एनएसईजेड से ऐसे सभी समान मामलों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा था। एनएसईजेड ने पत्र दिनांक 20 सितंबर 2013 के माध्यम से यूनिट से सहायक दस्तावेजों के साथ वर्ष 2011 से 2013 तक के लिए एपीआर प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया ताकि उनका मामला अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित किया जा सके। तथापि, यूनिट ने 25 नवंबर 2013 को उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत किया। यूनिट को सकारात्मक एनएफई अर्जन प्राप्त न करने के लिए 8 सितंबर 2014 को एनएसईजेड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब में यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 22 सितंबर 2014 के माध्यम से बताया कि वर्ष 2008 में वैश्विक मंदी के कारण उनके आर्डर निलंबित हो गए तथा यूनिट 2009 से 2011 तक की अवधि में घाटे में रही। इसके अलावा यूनिट ने बताया कि यदि उनका मामला समय से अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित किया गया होता तो उनके एलओए की वैधता अवधि भी 5 साल के लिए बढ़ाई गई होती।

कारण बताओ नोटिस के न्याय निर्णयन तथा एलओए के नवीकरण का प्रस्ताव 17 अक्टूबर 2014 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में रखा गया जिसमें यूनिट अनुमोदन समिति ने कारण बताओ नोटिस का ब्यौरा प्रदान करने का अनुरोध किया तथा समुचित विचार विमर्श के बाद आयातित माल के मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया जिसकी गणना नकारात्मक एनएफई के संबंध में एनएसईजेड कस्टम द्वारा की जाएगी। यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट को प्लास्टिक यूनिटों के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए हलफनामा के साथ अगले 5 वर्षों के लिए संशोधित व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया ताकि एलओए के नवीकरण के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उनका प्रस्ताव अग्रेषित किया जा सके।

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2014 के माध्यम से अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुसार संशोधित व्यवसाय योजना, संशोधित अनुमान तथा हलफनामा प्रस्तुत किया। व्यवसाय योजना के अनुसार यूनिट ने बताया कि 250 किलोवाट के दो जनरेटर के साथ उसके पास 10 एगलोमरेटर प्लांट हैं तथा इस प्रकार 15000 मीट्रिक टन प्लास्टिक एगलोमरेट का उत्पादन करने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं। यूनिट ने यह भी बताया कि उनकी यूनिट में लगभग 200 अकुशल मजदूर काम कर रहे हैं तथा अगले 5 वर्षों के लिए उनका एनएफई अर्जन 7362.80 लाख रुपए था (अनुबंध 1)। यूनिट ने प्लास्टिक यूनिटों के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए हलफनामा भी प्रस्तुत किया है।

इसके बाद एनएसईजेड द्वारा मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ 5 नवंबर 2014 को संस्तुत किया गया। 19 मई 2015 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपर्युक्त मामले पर विचार किया गया जिसमें अनुमोदन बोर्ड ने अपनी अगली बैठक के लिए मामले को आस्थगित कर दिया।

मामले पर 9 अक्टूबर 2015 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुन: विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यूनिट कई वर्षों से निष्क्रिय पड़ी है तथा अपनी निर्धारित निर्यात बाध्यता का निर्वहन करने में असमर्थ रही है और इसलिए एलओए के नवीकरण के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। यूनिट ने बताया है कि उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 12 नवंबर 2015 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अभिवेदन प्रस्तुत किया तथा दोहराया कि पिछले डेढ़ वर्षों के लिए किश्तों में तीन माह के लिए पूर्व में उनके एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई गई और कम समय के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की ऐसी प्रथा के चलते लाजिस्टिक तथा प्रचालन की समस्या उत्पन्न हुई। यूनिट ने बताया है कि कम समय के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने की वजह से वे एलओए की अवधि बढ़ाए जाने के पूर्वानुमान में कच्चा माल भेजने के लिए अपने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को आर्डर दे नहीं सके अपितु वे एलओए की वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बाद ही आर्डर दे सके। यूनिट ने यह भी बताया है कि चूंकि उनका कच्चा माल भारी भरकम है और केवल समुद्री मार्ग से आयात होता है इसलिए गंतव्य तक इसे पहुंचने में 3 से 4 महीने लगते हैं। अत: इतने कम समय के लिए एलओए की बढ़ाई गई अवधि के अंदर एनएसईजेड यूनिट के रूप में अपने प्रचालनों को जारी रखना असंभव हो गया। उल्लेखनीय है कि एनएसईजेड ने यूनिट से उनके आवंटित प्लाट को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की है।

5 साल की अवधि के लिए एलओए प्रदान करने के लिए उनके प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स का अनुरोध विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) सैंडल वुड की अतिरिक्त मदों के विनिर्माण के लिए प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स एमएमजी इंपेक्स जो एमईपीजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

सैंडलवुड के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 6 जून, 2012 को एलओपी प्रदान किया गया था। यह प्रस्ताव निम्नलिखित मदों के विनिर्माण के लिए 8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 60वीं बैठक के समक्ष आया था :

(i) सैंडलवुड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट
(ii) सैंडलवुड मशीन मेड प्रोडक्ट
(iii) सैंडलवुड चिप्स (प्रति नग 50 ग्राम तक)
(iv) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट
(v) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट

तथापि, विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थी।

पुन: यूनिट ने पत्र दिनांक 30 दिसंबर 2013 के माध्यम से मैसर्स साईं ललित फ्रैगरेंस के समान प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए वाणिज्य विभाग के पास आवेदन किया, जिसे 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 35वीं बैठक द्वारा समान उत्पादों के विनिर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। 18 सितंबर, 2014 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 63वीं बैठक में मामले पर विचार किया गया। "विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने सैंडल वुड के मशीन फिनिश्ड उत्पादों (आईटीसी (एचएस) कोड 44090000) तथा सैंडल वुड के फिनिश्ड हस्तशिल्प उत्पादों (आईटीसी (एचएस) कोड 44200000) के संबंध में निर्यात यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।"

उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त 2009 को आयोजित 35वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स साईं लेथ फ्रैगरेंस जो एमईपीजेड एसईजेड में समान यूनिट है, के संबंध में देशज रूप में प्राप्त किए गए सैंडल वुड से मशीन फिनिश्ड सैंडल वुड, चिप्स, डस्ट एवं पाउडर के विनिर्माण के लिए ब्राड बैंडिंग को मंजूरी प्रदान की थी। विकास आयुक्त, एमईपीजेड को प्रापण के स्रोत को प्रमाणित करने का भी निदेश दिया गया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि फर्म द्वारा किसी कोंट्राबैंड सैंडलवुड का प्रयोग नहीं किया जाता है।

अब यूनिट ने निम्नलिखित 3 मदों के लिए पुनर्विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुन: अनुरोध किया है।

(क) सैंडलवुड चिप्स (प्रति नग 50 ग्राम तक)
(ख) सैंडलवुड पाउडर / डस्ट
(ग) सैंडलवुड फ्लेक / स्क्रैप / वेस्ट

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 2)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(vii) एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 74ए के संबंध में जारी किया जाने वाला स्पष्टीकरण / अनुदेश

नाम में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरित करने की व्यवस्थाओं, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय / डिमर्जर, स्लंप सेल, संरचना के प्रोपराइटरशिप से साझेदारी में परिवर्तन तथा विलोमत:, संरचना में पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट / लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में परिवर्तन तथा विलोमत:, कंपनी से साझेदारी में परिवर्तन तथा विलोमत:, शेयर होल्डिंग में परिवर्तन आदि के मामले में एसईजेड नियमावली के नियम 74 ए की प्रयोज्यता तथा क्या ऐसे मामलों को एसईजेड स्कीम से निकास के रूप में लिया जाना चाहिए, पर विचार किया गया है। विकास आयुक्तों द्वारा स्पष्टीकरण के लिए यह मामला उठाया गया है। इस संबंध में अनुदेश / स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अभिवेदन भी प्राप्त हुए हैं।

2. जहां तक एसईजेड यूनिटों का संबंध है जिन पर नियम 74 ए लागू होता है, व्यवसाय पुनर्गठन के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं :

विलय एवं समामेलन

- विलय 2 या अधिक संस्थाओं का एक संस्था में संयोजन है; इसके वांछित प्रभाव के रूप में भिन्न संस्थाओं की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का न केवल संचय होता है अपितु ऐसी संस्था का संगठन भी एक व्यवसाय में संचित होता है। सामान्यतया विलय में विलयित होने वाली संस्थाओं का अस्तित्व

समाप्त हो जाता है तथा एकल उत्तरजीवी संस्था में उनका विलय हो जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 390 से 394 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 234 किसी कंपनी, उसके शेयरधारकों और ऋणदाताओं के बीच विलय तथा व्यवस्था की योजनाओं को अभिशासित करती हैं।

- चूंकि विलय में अनिवार्य रूप से विलयित कंपनियों एवं उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच व्यवस्था शामिल होती है इसलिए अन्य के साथ का प्रस्ताव करने वाली प्रत्येक कंपनी को अपने संबंधित शेयरधारकों और / या ऋणदाताओं की बैठक बुलाने के लिए कंपनी न्यायालय जिसका ऐसी कंपनी पर क्षेत्राधिकार है, के पास आवेदन करना चाहिए। इसके बाद न्यायालय कंपनी के ऋणदाताओं / शेयरधारकों की बैठक बुलाने का आदेश दे सकता है। यदि ऋणदाताओं एवं शेयरधारकों के तीन चौथाई मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या में बहुमत उपस्थित होता है तथा ऐसी बैठक में मतदान विलय के पक्ष में होता है तो विलय, यदि न्यायालय द्वारा संस्वीकृत है, कंपनी के सभी ऋणदाताओं / शेयरधारकों पर बाध्यकारी है।
- विलय के प्रावधानों में एक व्यापक संहिता शामिल है तथा इन प्रावधानों के तहत न्यायालयों को कंपनी की कार्पोरेट संरचना में किसी परिवर्तन को अनुमोदित करने का पूर्ण अधिकार है।

विलय के प्रकार

1. सहायक कंपनी का नियंत्रक कंपनी के साथ विलय

2. नियंत्रण कंपनी का सहायक कंपनी के साथ विलय

3. 2 सहायक कंपनियों का समान नियंत्रक कंपनी में विलय

4. समान अंतिम शेयरधारकों की 2 सहायक कंपनियों का विलय

डिमर्जर

डिमर्जर के माध्यम से अधिग्रहण का एक अन्य रूप। डिमर्जर पुनर्गठन का साधन है जो अपने मूल एवं गैर मूल व्यवसायों को अलग करने के लिए कंपनियों द्वारा उत्तरोत्तर प्रयुक्त किया जा रहा है। यह विलय के विपरीत है जिसमें एक संस्था का दो या अधिक संस्थाओं में विभाजन शामिल होता है। कोई संस्था जिसके एक से अधिक व्यवसाय हैं, अपने किसी भी व्यवसाय को नई संस्था में सौंपने या स्पिन ऑफ करने का निर्णय ले सकती है। मूल संस्था के शेयरधारक सामान्यतया नई संस्था के शेयर प्राप्त करेंगे।

- डिमर्जर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 के तहत कंपनी द्वारा एक या अधिक उपक्रमों के व्यवस्था की योजना भी है। उपक्रमों का हस्तांतरण करने वाली कंपनी को 'डिमर्ज्ड कंपनी' कहा जाता है और जिस कंपनी में डिमर्ज्ड कंपनी के उपक्रम हस्तांतरित किए जाते हैं उसे रिजल्टिंग कंपनी कहा जाता है।
- विलय के मामले की तरह, डिमर्जर भी न्यायालय द्वारा चालित प्रक्रिया है, जिसके लिए शेयरधारकों, ऋणदाताओं तथा अन्य विनियामक प्राधिकरणों के अनुमोदन के साथ क्षेत्राधिकारीय उच्च न्यायालयों / एनसीएलटी की संस्वीकृति की आवश्यकता होती है।

डिमर्जर के प्रकार

1. प्रभाग (अर्थात एसईजेड यूनिट) का पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस कंपनी) / तृतीय पक्ष में डिमर्जर

2. स्टेप टाउन सब्सिडियरी के प्रभाग (अर्थात एसईजेड यूनिट) का तृतीय पक्ष में डिमर्जर

व्यवसाय अधिग्रहण

अधिग्रहण एक व्यक्ति द्वारा टार्गेट की शेयर पूंजी में नियंत्रक अधिकार या उसकी सभी या सारवान रूप से सभी परिसंपत्तियों और/या देयताओं का क्रय है। अधिग्रहण टार्गेट के शेयरों के अधिग्रहण या टार्गेट की परिसंपत्तियों एवं देयताओं के अधिग्रहण के रूप में हो सकता है। परवर्ती मामले में सामान्यतया सतत सरोकार आधार पर टार्गेट के व्यवसाय का अधिग्रहण किया जाता है।

स्लंप सेल

- एकमुश्त प्रतिफल के लिए चिह्नित व्यवसाय का हस्तांतरण
- प्रतिफल में क्रेता विक्रेता को शेयर जारी करता है / नकदी का भुगतान करता है
- न्यायालय का कोई दखल नहीं - शेयरधारक संकल्प तथा व्यवसाय हस्तांतरण करार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है
- व्यवस्था की योजना के माध्यम से उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन के मार्ग के तहत भी संभव है
- गैर मूल व्यवसाय के विनिवेश के लिए उपयोगी है
- एसयूबी कंपनी की एसईजेड यूनिट पर कोई कर प्रभाव नहीं होता है - यह एसईजेड में अपना प्रचालन जारी रखती है तथा आयकर अधिनियम की धारा 10एए (5) के तहत प्रावधान के अनुसार करावकाश की समाप्त अवधि के लिए पात्र है।
- कस्टम ड्यूटी / वैट / सेवा कर तथा एसईजेड यूनिट के रूप में उपलब्ध अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- एसईजेड के कानून के तहत प्रचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल मंजूरी पत्र में प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

3. बताया गया है कि ऐसी स्थितियों में एसईजेड यूनिट के प्रचालन की सततता पर कोई प्रभाव नहीं होता है परंतु यह कानून में स्वीकृत परिवर्तन है। इसलिए सुझाव दिया गया है कि इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि नाम में परिवर्तन, व्यवसाय हस्तांतरण की व्यवस्थाओं, न्यायालय द्वारा अनुमोदित विलय / डिमर्जर, स्लंप सेल, संरचना में प्रोपराइटरशिप से पार्टनरशिप में परिवर्तन एवं विलोमत:, संरचना में पब्लिक लिमिटेड कंपनी से प्राइवेट / लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में परिवर्तन एवं विलोमत:, कंपनी से पार्टनरशिप में परिवर्तन एवं विलोमत:, शेयर होल्डिंग में परिवर्तन आदि के फलस्वरूप और वस्तुत: एसईजेड योजना से बाहर न निकलने की स्थिति में एसईजेड नियमावली का नियम 74ए ऐसी एसईजेड यूनिट पर लागू नहीं होगा जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के हस्तांतरण द्वारा एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनती हैं और एसईजेड यूनिट सतत सरोकार के रूप में प्रचालन जारी रखती है।

4. महसूस किया गया है कि व्यवसाय हस्तांतरण की व्यवस्थाओं के समावेशन तथा 50 प्रतिशत से अधिक शेयर होल्डिंग में परिवर्तन के मामलों को छोड़कर सुझाव ज्यादातर स्वीकार्य है। महसूस किया गया है कि व्यवसाय हस्तांतरण व्यवस्था बहुत कमजोर पद है तथा इस संबंध में अनुदेश जारी करते समय इसे शामिल

करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे मामलों, यदि अनुमत करने के लिए विचार किया जाता है, पर निर्णय केवल मेरिट के आधार पर अनुमोदन बोर्ड की मंजूरी से लिया जाना चाहिए तथा यह कि केवल ऐसे मामलों को प्रस्तावित अनुदेशों के दायरे में लाना चाहिए जहां शेयर होल्डिंग में परिवर्तन केवल 50 प्रतिशत तक है।

8. इस संबंध में विस्तृत नोट अनुबंध 3 के रूप में संलग्न है। मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने तथा उपयुक्त निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 69.12 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति, एनएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी 2016 के विरुद्ध मैसर्स रीगल ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट को हाथ से गढ़े गए प्लेन गोल्ड ज्वैलरी के निर्माण एवं निर्यात के लिए 15 मार्च 2000 को एलओए जारी किया गया था। वर्ष 2000 में यूनिट ने एनएसईजेड के प्लाट नंबर 160 पर नवंबर 2000 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। व्यवसाय में वृद्धि के बाद अपीलकर्ता ने निर्मित फैक्ट्री के साथ प्लाट नंबर 159, एनएसईजेड, नोएडा का अधिग्रहण किया जो मैसर्स यलो मेटल इंक से सटा हुआ प्लाट है। एनएसईजेड ने निम्नलिखित शर्तों के साथ पत्र दिनांक 6 मई 2003 के माध्यम से अपीलकर्ता / आवेदक के पक्ष में भवन - प्लाट नंबर 159, एनएसईजेड, नोएडा के हस्तांतरण के लिए अनुमति एवं एनओसी प्रदान किया :

(क) यूनिट प्लाट नंबर 159, एनएसईजेड के संबंध में लागू दरों के अनुसार (अर्थात 55 रुपए प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष) लागू लीज रेंट तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करेगी और वित्तीय संस्थाओं / बैंकों / यूपीपीसीएल से एनओसी प्राप्त करेगी तथा स्टांप ड्यूटी आदि, यदि लागू हो, का भुगतान करेगी।

(ख) यूनिट प्लाट पर भौतिक कब्जा की तिथि अर्थात 1 जुलाई 2013 से एक माह के अंदर प्लाट नंबर 159, एनएसईजेड के संबंध में एनएसईजेड के साथ नया उप पट्टा करार भी निष्पादित करेगी।

मैसर्स रीगल ज्वैलरी मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी ने एसईजेड नियमावली के नियम 74 ए के तहत मैसर्स एसआई ओवरसीज ज्वैलरी तथा मैसर्स बेरा एंटरप्राइजेज के पक्ष में प्लाट नंबर 159 एवं 160, एनएसईजेड की अपनी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करने का प्रस्ताव किया है। 22 जून 2015 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में मामले को रखा गया तथा मैसर्स रीगल ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा निकास की औपचारिकताओं को पूरा करने, लागू हस्तांतरण प्रभारों का भुगतान करने तथा मौजूदा यूनिट की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करने के संबंध में आवक उद्यमियों से वचन पत्र के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इसके बाद विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय ने पत्र दिनांक 13 जुलाई 2015 के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन मैसर्स एसआई ओवरसीज ज्वैलर्स के पक्ष में प्लाट नंबर 159, एनएसईजेड पर निर्मित भवन का हस्तांतरण करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया। इसके अलावा पत्र दिनांक 24 सितंबर 2015 के माध्यम से एसईजेड नियमावली के नियम 74 के तहत यूनिट का निकास जारी किया गया। तथापि, इसके बाद यूनिट धारक से विकास आयुक्त एनएसईजेड के पत्र संख्या ईएम / 121 / 92-93 दिनांक 6 जून 2003 जिसमें यूनिट को पट्टा विलेख निष्पादित करने की सलाह दी गई थी, के बावजूद प्लाट नंबर 159 के लिए 2003 से पट्टा विलेख निष्पादित न किए जाने के संबंध में संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। अपनी यूनिट की ओर से चूक को स्वीकार करते हुए कंपनी के प्रोपराइटर ने कहा कि यह विशुद्धत: गैर इरादतन हुआ तथा यूनिट दोनों प्लाटों से काम कर रही है तथा लीज

रेंट का भुगतान नियमित रूप से कर रही है। यूनिट धारक 6 जनवरी 2016 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में उपस्थित भी हुआ तथा अपनी बातों को दोहराया।

6 जनवरी 2016 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति ने पाया कि यूनिट ने आवंटन पत्र में निहित आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है तथा इसने प्लाट नंबर 159 के संबंध में एनएसईजेड के साथ नया उप पट्टा करार निष्पादित नहीं किया है। यूनिट अनुमोदन समिति ने यह भी पाया कि यूनिट नियम 74 ए की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है, जिसमें स्प्ष्ट रूप से यह प्रावधान है कि यूनिट के पास वैध एलओए तथा भूमि पट्टा होना चाहिए जो अंतरण की तिथि को 5 साल से कम अवधि के लिए नहीं होना चाहिए। विचार विमर्श के बाद यूनिट अनुमोदन समिति ने प्लाट नंबर 159 के संबंध में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के हस्तांतरण के लिए मंजूरी प्रदान नहीं की तथा निम्नलिखित दो विकल्प भी प्रदान किए गए :

(i) यदि यूनिट एनएसईजेड में अपने प्रचालनों को जारी रखना चाहती है तो उनके एलओए एवं भूमि पट्टा का नवीकरण किया जाएगा तथा उनके द्वारा भुगतान किए गए अंतरण प्रभारों को वापस किया जाएगा।

अथवा

(ii) यदि यूनिट इसके बावजूद बाहर निकलना चाहती है तो उन्हें एनएसईजेड प्राधिकरण को प्लाट नंबर 159 सरेंडर करना होगा क्योंकि इसका पट्टा विलेख निष्पादित नहीं हुआ है तथा यूनिट अनुमोदन समिति प्लाट नंबर 160, एनएसईजेड के अंतरण को अनुमत करेगी। एनएसईजेड को प्लाट नंबर 159 सरेंडर किए जाने पर सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा तथा एनएसईजेड प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैध एलओए धारकों के लिए नीलामी के लिए प्लाट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा आकलित मूल्य के अनुसार यूनिट को भवन के मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

यूनिट अनुमोदन समिति के उपर्युक्त निर्णय के बारे में यूनिट को पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2016 के माध्यम से सूचित किया गया। अपीलकर्ता ने उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध वर्तमान अपील की है (अनुबंध 4)।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 जनवरी 2016 के विरुद्ध मैसर्स सिंघवी ट्रेडलिंक एलएलपी (पूर्व में मैसर्स सिंघवी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड) जो केएएसईजेड की यूनिट है, की अपील

यूनिट ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) के तहत फ्लेक, एग्लोमरेट, पाउडर आदि में एलडीपीई / एचडी / पीपी / पीवीसी तथा सभी प्रकार के पॉलिमर के निर्माण के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड के माध्यम से अनुमोदन समिति को आवेदन दिनांक 7 अक्टूबर 2015 प्रस्तुत किया है। पेट्रोरसायन उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन पोलिमराइजेशन है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एकल कंपाउंड अर्थात एथिलीन या प्रापिलीन के अनेक कणों के विभिन्न संयोजन लांग चेन में परिवर्तित होते हैं। इस परिपक्व प्रक्रिया के यौगिकों को पॉलिमर कहा जाता है तथा जिस सामग्री से यह प्राप्त होता है उसे मोनोमर कहा जाता है। अंतिम रिसाइकल उत्पाद विभिन्न प्रकार का पॉलिमर होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव 23 दिसंबर 2015 को आयोजित अनुमोदन समिति की 89वीं बैठक में विचार के लिए आया तथा विचार करने के बाद यूनिट अनुमोदन समिति ने पत्र दिनांक 7 जनवरी 2016 के माध्यम से उपर्युक्त

प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह प्रस्ताव एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) के दायरे में आता है।

खंडन आदेश दिनांक 7 जनवरी 2016 से व्यथित आवेदक ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 55 के प्रावधान के तहत अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। इसके अलावा अपीलकर्ता ने बताया कि उपर्युक्त आदेश पारित करने से पूर्व यूनिट अनुमोदन समिति ने उसकी बात नहीं सुनी जो गैर कानूनी एवं मनमाना है, जबकि पिछले मामलों में जैसे कि मैसर्स स्वयं कॉर्पोरेशन तथा मैसर्स सार्थक वेयरहाउसिंग के मामलों को विचार के लिए अनुमोदन बोर्ड के पास भेजा गया।

अपीलकर्ता ने यह भी बताया है कि प्लास्टिक अपशिष्ट की रिसाइकलिंग से प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई धुलाई शामिल नहीं होती है। अपीलकर्ता ने वचन दिया है कि वे उत्पादन शुरू करने से पूर्व गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक सहमति / एनओसी प्राप्त करेंगे परंतु प्रतिवादी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा अपीलकर्ता ने बताया है कि केएएसईजेड में लगभग 21 तथा एफएसईजेड में 8 ऐसी यूनिटें हैं जो अपने एलओए के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट / स्क्रैप की रिसाइकलिंग / विनिर्माण कर रही हैं, हालांकि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) के अनुसार गुणवत्ता संबंधी प्रतिबंध है परंतु इस शर्त पर संबंधित विकास आयुक्त द्वारा कभी बल नहीं दिया गया या निगरानी नहीं की गई।

उपर्युक्त स्थिति के आलोक में अपीलकर्ता ने माननीय अनुमोदन बोर्ड (बीओए) से अपने प्रस्ताव पर विचार करने तथा केएएसईजेड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी 2016 को अपास्त एवं शून्य करने और नए मामले के रूप में अपीलकर्ता के प्रस्ताव पर विचार करने तथा फ्लेक, एगलोमरेट, पाउडर में एलडीपीई / एचडी / पीपी / पीवीसी आदि तथा सभी प्रकार के पॉलिमर के निर्माण के लिए आवेदक को एलओए जारी करने का अनुरोध किया।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध 5) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

****